- थाना अहरौरा पुलिस द्वारा प्रताडित करने व आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी पति गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा प्रताडित करने व आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी पति गिरफ्तार।, दिनांक 01..07.2020 को वादी वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामजी निवासी धुरिया मांदाचक थाना अहरौरा मीरजापुर द्वारा थाना अहरौरा पर तहरीर दी गयी कि उनकी बहन सुनीता देवी उम्र-35 वर्ष के रहते हुए उसके पति गुरुदयाल पुत्र स्व0 भोला निवासी सरिया थाना अहरौरा मीरजापुर द्वारा दुसरी शादी की गयी थी तथा विरोध करने पर उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा उसे प्रताडित किया जा रहा था व दिनांक 28.06.2020 को प्रात: मिट्टी का तेल डालकर सुनीता को जलाया गया, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी, इस सबंध में थाना अहरौरा पर मु0अ0स0-108/2020 धारा 304,323,494,498ए,506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था, विवेचना के दौरान धारा 304 भा0द0वि0 का लोप कर धारा 306 भा0द0वि0 की बढ़ोतरी किया गया था, अभियोग का वाछिंत अभियुक्त मृतका का पति गुरुदयाल पुत्र स्व0 भोला निवासी सरिया थाना अहरौरा मीरजापुर को दिनांक 21.07.2020 को समय 12.30 बजे उसके घर से थानाध्यक्ष राजेश जी चौबे थाना अहरौरा मयहमराह हे0का0 अखिलेश राय, का0 अरविन्द कुमार, म0का0 रेखा यादव द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।